

श्रीशंकरनाथ  
उ.स. - 58/22

बनाम


श्रीमती कांताबाई  
किसा - जा.प.

19/08/25

पत्तावली पेश हुई वकील कायपट्टा उपस्थित। उक्त  
पार्शना-पत्र के मूलवाद प्रकरण सं. 24/2022 श.वा.  
उक्तान श्रीशंकरनाथ बनाम श्रीमती कांताबाई  
वादीगण ने विद्वे लीये जाने से उक्त पार्शना-पत्र  
-पत्ताये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही है।

अतः मूलवाद विद्वे हो जाने से उक्त पार्शना  
पत्र अन्तर्गत धारा-212 R.T.A. में कार्यवाही  
इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है।

पत्तावली केसल सुमर देखर दायील एपसर  
देग निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर सलूम्वर  
जिला सलूम्वर